

**विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :** (क) सरकार को इस विषय में कोई अश्वयवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी नहीं।

(ग) संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिससे किसी संघ राज्यक्षेत्र का उच्च न्यायालय किसी राज्य में अधिकारिता का प्रयोग करे।

†[THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. GOKHALE) : (a) Government have not received any representation in this regard.

(b) No Sir.

(c) There is no provision in the Constitution for the High Court of a Union Territory to exercise jurisdiction in a State.]

**रेलगाड़ियों से यात्रा करने वाले यात्रियों से अर्जित राजस्व**

1366. **श्री ओउम प्रकाश त्यागी :** क्या रेल मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष उच्च श्रेणी तथा तीसरी श्रेणी के यात्रियों से क्रमशः कितनी कितनी आय हुई;

(ख) तीसरी श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त इस आय की कितनी प्रतिशत राशि ऐसे यात्रियों के लिए सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने पर खर्च की गई; और

(ग) निकट भविष्य में तीसरी श्रेणी के यात्रियों को प्रदान की जाने वाली नई सुख-सुविधाओं का व्योम क्या है ?

†[REVENUE EARNED FROM PASSENGERS TRAVELLING BY TRAINS]

1366. **SHRI O. P. TYAGI :** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the revenue earned from upper class, third class passengers respectively during the last year;

† [ ] English translation

(b) the percentage of the amount so realised from third class passengers which was spent on providing amenities to such passengers; and

(c) the details of the new amenities to be provided to third class passengers in the near future ?]

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) :** (क) से (ग) एक विवरण सलग्न है।

**विवरण**

(क) 1971-72 में यात्रियों में हुई आमदनी के दर्जेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1970-71 की अवधि में तीसरे दर्जे के यात्री यातायात से 258.11 करोड़ रुपये की आमदनी हुई। अन्य दर्जों के यात्रियों से 37.38 करोड़ रुपये की आमदनी हुई।

(ख) स्टेशनों या गाड़ियों में यात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था यातायात की आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है न कि प्रत्येक दर्जे में यात्रा करने वाले यात्रियों से होने वाली आमदनी के आधार पर। रेलों का यह प्रयास रहा है कि सामान्यतः सभी दर्जों के यात्रियों और विशेषतः तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए अधिकतम संभव सुविधाओं की व्यवस्था की जाये।

जहां तक गाड़ियों में तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए सुविधाओं का सम्बन्ध है, प्रायः सभी डाक। एक्सप्रेस गाड़ियों तथा कुछ सवारी गाड़ियों में और तीसरे दर्जे के खण्डीय/थूह डिब्बों में भी रात की यात्रा के लिए अब सोने का स्थान उपलब्ध है। भारतीय रेलों पर तीसरे दर्जे के जितने शयनयानों का उपयोग हो रहा है उनकी कुल संख्या 31-3-1972 को 2025 थी (बड़ी लाइन के 1469 और मीटर लाइन के 556)। इस समय ट्रंक भागों पर बड़ी लाइन की 26 और मीटर लाइन की 8 जनता एक्सप्रेस गाड़ियां चल रही हैं। इसके अलावा, लम्बी दूरी की

47 गाड़ियाँ डीजल बिजली रेल इनको से चलाई जा रही है जिनका मुख्य उद्देश्य उनकी रफ्तार बढ़ाने के अलावा, तीसरे दर्जे के स्थान में वृद्धि करना है।

तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बों में शौचालय सुविधाओं का मानकीकरण 20 यात्रियों के लिये एक शौचालय के हिसाब से कर दिया गया है जबकि पहले 40 यात्रियों के लिए एक की व्यवस्था थी। तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये अपेक्षाकृत अधिक आरामदेह यात्रा का लक्ष्य रख कर, स्टेनलेस इस्पात की चिलमची और खुड्डियाँ, टांगों के लिये अधिक स्थान का उद्देश्य में सीटों की निश्चय व्यवस्था, मयोजन फर्श, यात्री-सवारी डिब्बों के लिए एकाकार इस्पाती ढाँचों का अपनाना, यात्रियों की देख-भाल के लिए तीसरे दर्जे के शयनयानों में कण्डक्टर चलटिकट परीक्षकों की व्यवस्था आदि सभी काम किये गये हैं।

तीसरे दर्जे के सभी डिब्बों में पंखों की व्यवस्था की गई है और डिब्बों में रोशनी की व्यवस्था के मानक में सुधार किया गया है जिसमें रात की बत्तियों की व्यवस्था भी शामिल है। तीसरे दर्जे के जिस नये स्टाक का उत्पादन हो रहा है उनमें जनित्र लगे होते हैं। तीसरे दर्जे के शयनयानों में जलशीतकों की व्यवस्था के लिए परीक्षण किया जा रहा है तथा तीसरे दर्जे के कुछ शयनयानों में कटेनरो में शीतल जल की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। रेलों का लक्ष्य हमेशा यह सुनिश्चित करना रहा है कि भारतीय रेलों के सभी स्टेशनों पर मूलभूत न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था की जाये। इन मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था अब भारतीय रेलों के सभी स्टेशनों पर की जा चुकी है।

सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट खिड़कियों, आरक्षण की अच्छी सुविधाओं, यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए लाउडस्पीकर्स की प्राणाली तथा डारमेटरी टाइप के सस्ते आराम कमरों की व्यवस्था की गई है।

31-3-1971 तक विभिन्न स्टेशनों पर कुल 160 जलशीतकों की व्यवस्था की गई है तथा 1972-73 तक और 140 जलशीतकों की व्यवस्था का कार्यक्रम बनाया गया है।

(ग) यह पूचना पहले ही दी जा चुकी है कि गाड़ियों में अतिरिक्त सुविधाओं की उत्तरोत्तर व्यवस्था की जा रही है। अभिमन्यु समिति की सिफारिशों के अनुसार, स्टेशनों पर अतिरिक्त यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के लिए प्रतिवर्ष लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है। इन निधियों की सहायता से प्रत्येक रेलवे की रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति के परामर्श से, जिससे जनता की राय भी सम्मिलित हो जाती है, सभी यात्रियों के उपयोग के लिए (जिनमें से अधिकांश तीसरे दर्जे के यात्री होते हैं) तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों के विस्तार, प्लेटफार्म पर छत, ऊँचे प्लेटफार्म, नर-जल की सप्लाई, भोजनालय, विक्रेता स्टाल, अतिरिक्त ऊपरी पैदल पुलों आदि की व्यवस्था निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर की जाती है।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD SHAFI CURESHI) (a) to (c) A statement is attached

#### STATEMENT

(a) The break up of passenger earnings for the year 1971-72 by classes is not yet available. During the year 1970-71, the earnings from the carriage of Third Class Passengers amounted to Rs 258.11 crores. The earnings from other classes of travel were Rs 37.38 crores.

(b) Passenger amenities whether at stations or on trains are provided on considerations of traffic needs and not on the basis of earnings from the passengers travelling in each class. It has been the constant endeavour of the railways to provide maximum amenities possible to all classes of passengers in general and third class passengers in particular.

†[ ] English translation.

As for amenities provided for third class passengers on trains sleeping accommodation is now available for journeys involving full night travel in almost all Mail/Express trains, and also in certain Passenger trains as well as in Sectional/Through third class coach services. The total number of third class sleeper coaches in use on Indian Railways is 2025 as on 31.3.1972 (1469 on BG and 556 on MG). There are at present 26 BG and 8 MG Janata Expresses running on important Trunk routes. In addition, 47 long distance trains are hauled by Diesel/Electric locomotives with the primary purpose of augmenting third class accommodation, besides accelerating them.

In third class coaches the scale of lavatory facilities has been standardised at 20 passages per lavatory as against 40 earlier. Provision of stainless steel wash basins and lavatory pans, transverse seating arrangements for more leg room, composition flooring, adoption of integral steel bodies for passenger coaches and provision of conductor TTEs on third class sleeper coaches to look after the passengers etc. have all been aimed at better travelling comfort of third class passengers. Ceiling fans have been provided in all third class coaches and lighting standards in compartments improved, including provision of night lights. All new third class stock are turned out with generating equipment. Experiments are under way for provision of water coolers in third class sleeper coaches, and cool drinking water is already provided in containers in some third class sleeper coaches. The aim of the Railways has always been to ensure provision of certain minimum basic amenities at all the stations of Indian Railways. These basic amenities have since been provided at all the stations of Indian Railways.

At all important stations extra booking windows, improved reservation facilities, public address system to guide passengers and provision of dormitory type cheap retiring rooms have been provided.

660 water coolers have been provided so far at various stations upto 31.3.1971 and the provision of 140 more water coolers has been programmed upto 1972-73.

(c) Information regarding additional amenities being progressively provided on

trains has been furnished already. In accordance with the recommendation of the Convention Committee, a sum of about Rs 4 crores is being spent annually for provision of more Passenger Amenities at stations. With the help of these funds, additional facilities like extension to III class waiting halls, platform, piped water supply arrangements, refreshment rooms, vendors, stalls, additional foot overbridges etc., for the use of all passengers (the vast bulk of whom are third class passengers) are provided on a programmed basis in consultation with Railway Users, Amenities Committee of each Railway, whereby public opinion is also associated.

#### DRILLING IN TRIPURA AND KUTCH

1367 SHRI BALACHANDRA  
MENON

SHRI YOGENDRA SHARMA

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state

(a) whether it is a fact that the Oil and Natural Gas Commission propose to start drilling in two new areas, one in Tripura and the other in Kutch,

(b) whether any geological survey has been conducted in these places recently, and

(c) if so, what are the findings of the survey?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI H. R. GOKHALE) (a) Exploratory drilling in Kutch and Tripura has recently been started.

(b) In Tripura, geological surveys by ONGC were started in the field seasons 1962-63 and are still continuing.

In Kutch, these surveys were started by ONGC in field season 1956-57 and were completed in 1969-70. The location where drilling is going on at present was, however, selected based on the results of a seismic survey, geological field surveys in the area around that point were not carried out since the area is covered by alluvium and sand and no outcrop of older sediments are present here.